२१.३.१७ पत्रावली प्रार्थी बसन्त कुमार के विरुद्ध तलबी के आदेश जारी किये। अधिवक्ता श्री संदीप हेड़ाऊ पेश होने पर प्रार्थी बसन्त कुमार व उत्तम कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप हेड़ाऊ द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा नहीं चाहते हैं तथा विपक्षी प्रार्थी बसन्त कुमार की पत्नी अधिवक्ता श्री नहीं आई अतः प्रार्थी बसन्त कुमार व उत्तम कुमार जाति खटीक आदेश पेश होने पर बंद कार्यालय विपक्षी के लिए के आदेश दिये गये हैं। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

विपक्षी का हस्ताक्षर
पत्रावली
उत्तम कुमार वि० ६५-१७
माध्यम वकील

उपखण्ड अधिकारी, सीतामऊ

Scanned by CamScanner